भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
नोटिस

आपको दिनांक 07.02.24 से 08.03.24 तक 30 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। अवकाश समाप्ति के उपरान्त आपको दिनांक 08.03.2024 (अप्रा.) को अपनी आमद आवागमन शिविर दिल्ली मे देनी अपेक्षित थी, किन्तु आपके द्वारा न तो अपनी आमद आवागमन शिविर, दिल्ली में दी गई और न वाहिनी मुख्यालय मे दी गई है तथा आप दिनांक 08.03.24 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमित से कैम्प परिसर से अनुपस्थित चल रहे है। जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7986 दिनांक 16.03.24 एवं 8148–51 दिनांक 30.03.24 के तहत आपको ड्युटी पर आमद देने हेतु निर्देशित किया था। किन्तु आपके द्वारा अपनी आमद नही दी गई और न ही कोई सूचना 37वी वाहिनी को दी गई।

2. परन्तु आप बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस कार्यालय के ज्ञापन सं0–7986 दिनांक–16.03.24 एवं ज्ञापन संख्या–8148–51 दिनांक–30.03.24 के तहत आपको वाहिनी में आमद देने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा वाहिनी में आमद न देनें पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 72 में निहित प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के पत्र सं0–158 दिनांक–03.04.24 के तहत Senior Superintendent of Police, Distt-Ramgarh (Jharkhand) को आपको गिरफ्तार कर सुपूर्द करने हेतु लिखित अनुरोध किया गया, लेकिन न तो संबंधित पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके सुपुर्द किया गया और न ही इस संदर्भ में कोई सूचना इस कार्यालय को दी गई है।

3. आपके लगातार अवकाश से अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार 37वीं वाहिनी के आदेश संख्या–661 दिनांक–08.04.24 के तहत् एक न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया तथा न्यायिक जॉच समिति की सिफारिश के अनुसार आपके स्वेच्छा से बिना किसी पर्याप्त कारण के अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर भा0ति0सी0पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार आपको 37वीं वाहिनी के आदेश संख्या–9628–43 दिनांक 22.05.24 के तहत् दिनांक–08.03.24 से भा0ति0सी0पुलिस बल से **"भगौड़ा"** घोषित किया जा चुका है।

4. उपरोक्तानुसार आपको ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप जानबूझकर अनाधिकृत तरीके से अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है, जिससे प्रतीत होता है, कि आप इस अनुशासित बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

5 आपकी सेवा समाप्ति के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व आपको एक अंतिम अवसर/मौका देते हुए **'कारण बताओं नोटिस'** जारी किया जाता है कि बिना किसी अवकाश/सक्षम अधिकारी की अनुमति के लगातार अनुपस्थित रहने पर क्यों न भा0ति0सी0पुलिस बल अधिनियम–1992 और नियम–1994 में वर्णित प्रावधानों के तहत् आपकी सेवा समाप्त की जाये। अतः इस नोटिस के जारी होने की तिथि से **30 दिनों** के अन्दर आप 37वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस बल मुख्यालय लेह, लद्दाख (यूटी) में व्यक्तिगत रूप से अपनी आमद देकर अपने बचाव में ठोस एवं प्रमाणिक सबूत प्रस्तुत करें अन्यथा **एक तरफा निर्णय (Ex-Parte Decision) लेते हुए आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।**

24/07/2024

सेनानी
37वीं वाहिनी भा0ति0सी0 पुलिस

CBC 19112/11/0101/2425